[2018] 1 एस. सी. आर. 1035

ए. ए. पद्मनाभन

वी.

केरल और ओआरएस का राज्य।

(2018 का सिविल अपील सं. 2206 आदि)

फरवरी 16,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

केरल शिक्षा अधिनियम, 1958:

एस. 15 (1) – राज्य सरकार द्वारा स्कूल को अपने नियंत्रण में लेना-अपीलकर्ताओं (निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों) को अदालत द्वारा अपने स्कूलों को बंद करने का अधिकार दिया गया था-हालाँकि, राज्य को स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था-स्कूल बंद होने से पहले, राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया-राज्य विधानमंडल ने इस आशय का प्रस्ताव पारित किया-इसके बाद, स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने के लिए अधिसूचना जारी की गई, जैसा कि विचाराधीन यू/एस। 15 (1) – आगे की अधिसूचना द्वारा पहले की अधिसूचना को संशोधित किया गया था-अपीलकर्ताओं ने रिट याचिकाएं दायर कीं

दोनों अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए-याचिकाओं को खारिज कर दिया गया-रिट अपीलों को भी खारिज कर दिया गया-अपील पर, याचिका ली गई कि स्कूल को उस प्रभाव के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले नहीं लिया जा सकता था, स्कूल को बंद कर दिया गया था; कि

स्कूल की संपत्तियों का अधिग्रहण केवल उचित मुआवजे का अधिकार अधिनियम 2013 का सहारा लेकर किया जा सकता था, न कि यू/एस। 15 ; वह एस। 15 अधिनियम (एक राज्य अधिनियम) 2013 अधिनियम (एक केंद्रीय अधिनियम) के प्रावधानों के प्रतिकूल है और इसलिए कला की दृष्टि से शून्य है। 254 में से

संविधान; और अपीलार्थियों को बेदखल करने की प्रक्रिया अनुच्छेद का उल्लंघन है। 300 संविधान का ए-आयोजितः जिस तारीख को मुख्यमंत्री ने पदभार संभालने का फैसला किया था, स्कूल बंद नहीं किए गए थे-उक्त निर्णय अपनी प्रभावशीलता नहीं खो सकता है, भले ही विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने से पहले या अधिसूचना जारी करने से पहले स्कूल वास्तव में बंद कर दिए गए हों-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का राज्य का निर्णय जनहित में था और कला के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए था। 21 संविधान का ए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009-1958 अधिनियम सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत आने वाली शिक्षा के लिए संदर्भित है, जबकि संपत्ति का अधिग्रहण एस द्वारा कवर किया जाता है। 42 सूची III की-इसलिए, शक्ति u/s। 15 1958 का अधिनियम अलग और अलग है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2013 अधिनियम के प्रावधानों के तहत शक्ति-भले ही यह माना जाता है कि

अलग-अलग विषयों से संबंधित दो विधानों का कार्यकरण, यदि छोटे क्षेत्र के संबंध में आकस्मिक अतिक्रमण है, यह नहीं हो सकता है

यह कहा जा सकता है कि एक कानून दूसरे पर हावी हो जाता है-दोनों कानूनों के सार और सार को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि वे काम करते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में और 1958 के अधिनियम को प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है -

2013 अधिनियम-संपत्ति के अधिग्रहण की प्रक्रिया। 15 कला की आवश्यकता का पूर्ण अनुपालन है। 300 ए-का संविधान

भारत-कला। 21 ए, 300 ए और अनुसूची VII, सूची III प्रविष्टियाँ 25 और 42

बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार,

पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013।

भारत का संविधानः

कलाएँ। 154 & 166 - यू/एस के रूप में परिभाषित राज्य सरकार। 3 (60) सामान्य खंड अधिनियम का अर्थ है राज्यपाल-सभी कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं और वह इस तरह की शक्ति का या तो सीधे प्रयोग करता है

या विवेकाधीन को छोड़कर उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से

राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यकारी कार्य का प्रयोग नहीं करता है-जब कोई मंत्री के अनुसार कोई कार्रवाई करता है

कार्य के नियम, यह सार और रूप दोनों में राज्यपाल-सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की कार्रवाई है। 3 (60) .

पीठ और पदार्थ के सिद्धांत के सिद्धांतः

यदि सातवीं अनुसूची या दो विधानों की दो प्रविष्टियों में कोई अतिव्याप्ति पाई जाती है, तो यह पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य है। इसका वास्तविक आशय और उद्देश्य और विशेष विधान की जांच करना।

इसका सार और सार-भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 वैधानिक योजना यू/एस। 15 केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 इंगित करता है कि शक्ति के प्रयोग में तीन चरण हैं धारा 15 के तहत, वे हैंः ((a) सरकार की संतुष्टि

संस्था की श्रेणी; (ख) विधान सभा का संकल्प विद्यालयों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी देना; और (ग)

राजपत्र में अधिसूचना जारी करना प्रभावी होगा सहायता प्राप्त विद्यालयों की किसी भी श्रेणी में निर्दिष्ट किसी भी दिन से। धारा 15 की उप-धारा (1) में सरकार की संतुष्टि ए. ए. पद्मनाभन बनाम है।

केरल और ओआरएस का राज्य।

सरकार "। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (60) में परिभाषित राज्य सरकार का अर्थ है किसी राज्य में राज्यपाल। राज्यपाल, एक ऐसे राज्य का प्रमुख होने के नाते, जिसमें अनुच्छेद 154 के तहत सभी कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 166 (1) के तहत, कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में की गई कोई भी कार्रवाई राज्य द्वारा की जाती है। राज्यपाल के नाम पर सरकार। अनुच्छेद 166 उपखंड (3) के तहत, राज्यपाल को राज्य सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए नियम बनाने हैं, और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए जहां तक यह कार्य नहीं है, जिसके संबंध में राज्यपाल को संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है। राज्यपाल के विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर, वह व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यकारी कार्यों का प्रयोग नहीं करता है। जब कोई मंत्री कार्य के नियमों के अनुसार कोई कार्रवाई करता है, तो यह सार और रूप दोनों में राज्यपाल की कार्रवाई होती है। [पारस 15 और 16] [1048-एच; 1049-ए-एफ]

समशेर सिंह बनाम। पंजाब और अन्न राज्य। , (1974) 2 एससीसी 831 [1975] 1 एससीआर 814; A.Sanjeevi नायडू, आदि। मद्रास और अन्न राज्य। , (1970) 1 एससीसी 443: [1970] 3

एस. सी. आर. 505-अनुसरण किया गया।

1.2 मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के परामर्श से चार स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया 07.06.2016 पर। उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी गई थी कि मुख्यमंत्री विद्यालयों के अधिग्रहण के संबंध में राज्य के कार्य नियमों के तहत निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। [पैरा 19] [1053-ई-एफ]

धारा 15 सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि है, जो कर सकता है व्यवसाय के नियमों के तहत निर्णय लें। स्कूल का बंद होना 07.06.2015 या उसके बाद हुआ और जिस तारीख को मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, उस तारीख को स्कूल का वास्तविक बंद होना [2018] 1 एस. सी. आर.

नहीं हुआ था। तथ्य यह है कि प्रबंधन द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसे यह देखते हुए बंद कर दिया गया था कि बंद करने के संबंध में सभी औपचारिकताएं ली गई थीं और अवमानना में, राज्य की ओर से बयान में यह भी उल्लेख किया गया था कि राज्य ने संस्थानों को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया है। इस प्रकार, जिस तारीख को मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, उस दिन स्कूल के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 20] [1054-ई-जी]

07.06.2016 पर लिया गया निर्णय स्कूल को बंद करने के लिए वैध था, यह शक्ति का वैध प्रयोग था और उक्त निर्णय में कोई कमजोरी नहीं आ सकती है, भले ही अपीलार्थी के अनुसार, विधानसभा द्वारा प्रस्ताव या अधिसूचना पारित करने से पहले स्कूल को बंद कर दिया गया हो। 27.07.2016 पर जारी किया गया। [पैरा 21] [1054-एच; 1055-ए-बी]

2. जिन सभी संस्थानों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया है, वे प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) के साथ-साथ बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, राज्य को प्राथमिक (उच्च प्राथमिक और निम्न प्राथमिक) शिक्षा प्राप्त करने वाले 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी कदम उठाने होंगे। राज्य का उन प्राथमिक विद्यालयों को चलाने का निर्णय जिन्हें उनके द्वारा बंद करने का निर्णय लिया गया था

संबंधित प्रबंधन जनहित में और हित में था

शिक्षा से। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के स्कूलों को सीधे सरकार द्वारा संचालित करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। [पैरा 23]

[1055 - डी-एफ]

संपत्ति का अधिग्रहण प्रविष्टि 42 सूची III के अंतर्गत आता है। प्रविष्टि 42 सूची III। [पारस 25 और 26] [1056-सी] 3.2 यदि सातवीं अनुसूची की दो प्रविष्टियों या दो विधानों में कोई अतिव्याप्ति पाई जाती है, तो यह न्यायालय ए. ए. पद्मनाभन बनाम का कर्तव्य है।

केरल और ओआरएस का राज्य।

इसके वास्तविक उद्देश्य और उद्देश्य का पता लगाने के लिए और विशेष विधान की उसके सार और सार में जांच करने के लिए। [पैरा 32] [1057-एफ-जी]

3.3 राज्य को 1958 के अधिनियम की धारा 15 में निहित उद्देश्य और उद्देश्य के लिए एक विद्यालय का अधिग्रहण करने का अधिकार है। द. सरकार निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने की हकदार है किः (i) राज्य में सामान्य शिक्षा के मानकीकरण के लिए, या (ii) किसी भी क्षेत्र में साक्षरता के स्तर में सुधार के लिए, या सहायता प्राप्त शिक्षा के अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए।

किसी भी क्षेत्र में संस्थान, या (iv) जनहित में किसी भी श्रेणी की शिक्षा को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने के लिए। वर्तमान मामले में राज्य सरकार ने शिक्षा के हित में जनहित में स्कूल को अपने हाथ में ले लिया है। राज्य को धारा 15 के तहत दी गई शक्ति उस शक्ति से अलग और अलग है जो अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत राज्य के पास है। [पैरा 27 और 28] [1056-डी-जी]

3.4 भले ही यह माना जाए कि अलग-अलग विषयों से संबंधित दो विधानों के काम करने में एक आकस्मिक बात है। दो विधानों के संचालन के छोटे क्षेत्र के संबंध में अतिक्रमण, यह नहीं माना जा सकता है कि एक विधान दूसरे को ओवरराइड करता है। दोनों विधानों, यानी अधिनियम, 1958 और अधिनियम, 2013 के सार और सार को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम, 1958 प्रतिकूल है।

अधिनियम, 2013 के अनुसार। इसलिए, अधिनियम, 1958 और अधिनियम, 2013 विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और अधिनियम, 1958 की धारा 15 किसी भी तरह से अधिनियम, 2013 को ओवरराइड या प्रतिकूल नहीं करती है। स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए धारा 15 के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग करने में कोई अयोग्यता नहीं थी। [पारस 35 और 38] [1060-ई-एफ; 1061-ई]

दीप चंद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 648 [1959] पूरक। एस. सी. आर. 8; केरल राज्य और अन्य बनाम। मार अप्रेम कुरी कंपनी लिमिटेड और एक अन्य

(2012) 7 एससीसी 106: [2012] 4 एस. सी. आर. 448; कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1994) 3 एससीसी 569: [1994] 2 एस. सी. आर. 375; ए. एस. कृष्णा और अन्य बनाम मद्रास राज्य,

आकाशवाणी 1957 एस. सी. 297: [1957] एस. सी. आर. 399; भारत संघ और अन्य बनाम। शाह गोवर्धन एल. काबरा शिक्षक महाविद्यालय, (2002) 8 एस. सी. सी. 228: [2002] 3 पूरक। एससीआर 220

पर भरोसा किया।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.5 धारा 15 (2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जहां कोई भी स्कूल

उप-धारा (1) के तहत सरकार में निहित होने पर, अधिसूचना की तारीख को उसके बाजार मूल्य के आधार पर उसके हकदार व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मालिक अधिसूचना की तारीख को बाजार दर पर मुआवजे के हकदार होने के कारण, संपत्ति पर कब्जा करने की प्रक्रिया अनुच्छेद की आवश्यकता का पूरा अनुपालन करती है।

300 भारत के संविधान का ए। [पारस 35 और 38] [1060-ई; 1061-एफ]

भुसावल नगर परिषद बनाम। निवृति रामचंद्र

फलक और अन्य (2015) 14 एस. सी. सी. 327: [2013] 17

एससीआर 259-प्रतिष्ठित।

मामला कानून संदर्भ

[1975] 1 एससीआर 814

पीछा किया।

पै

रा 16

[1970] 3 एससीआर 505

पीछा किया।

पै

रा 17

[1959] पूरक। एस. सी. आर 8

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

[2012] 4 एससीआर 448

उस पर भरोसा करें

पै

रा 31

[1994] 2 एससीआर 375

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

[1957] एससीआर 399

उस पर भरोसा करें

पै

रा 33

[2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 220 पर निर्भर

पै

रा 34

[2013] 17 एससीआर 259

पै

रा 39

प्रतिष्ठित

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2206

2018 से।

उच्च न्यायालय के 01.08.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की रिट अपील No.336 में एर्नाकुलम में केरल का न्यायालय

के साथ

सिविल अपील सं। 2207 और 2018 का 2208।

मोहित पॉल, हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलाक्कोट, सुश्री एशली

हर्षद, अपीलार्थी के वकील।

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री प्रियंका

प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, विनय शंकर वी. एल., उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

ए. ए. पद्मनाभन बनाम केरल और ओआरएस का राज्य।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये तीन अपील तीन निजी सहायता प्राप्त संस्थानों के पूर्व प्रबंधकों द्वारा केरल के सामान्य फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर की गई हैं। उच्च न्यायालय दिनांक 01.08.2017 जिसके निर्णय द्वारा, केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट अपीलों को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की है जिसमें -

अपीलार्थियों ने केरल राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए जारी अधिसूचना पर सवाल उठाया है, जिनका प्रबंधन अपीलार्थियों द्वारा किया जाता था।

3. इन अपीलों में उठाए गए तथ्य और मुद्दे समान हैं, सिविल अपील में तथ्यों और अभिवचनों का संदर्भ विशेष अपील से उत्पन्न होता है। 2017 की अनुमति याचिका (सी) संख्या 24386 इन सभी अपीलों पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त होगी।

4. अपीलार्थी केरल राज्य में त्रिशूर जिले के किरालूर में P.M.L.P स्कूल चला रहा था, जो एक सहायता प्राप्त संस्थान भी था।

केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 7 (6) द्वारा आवश्यक (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। शिक्षा अधिकारियों ने अपीलार्थी को संस्थान को बंद करने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण अपीलार्थी डब्ल्यू. पी. द्वारा रिट याचिका दायर की गई। (ग) 2015 की सं. 12873। डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 12205 2015 सहायता प्राप्त P.M.L.P स्कूल की प्रधानाध्यापिका प्रभारी और अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के साथ-साथ उक्त स्कूल के स्कूल संरक्षण समिति के अध्यक्ष ने सहायता प्राप्त स्कूल के प्रबंधक द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल को बंद करने के लिए उठाए गए कदमों का विरोध करते हुए दायर किया था। राज्य सरकार से स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई। रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह मानते हुए अनुमति दी गई थी कि अपीलकर्ता अधिनियम और केरल शिक्षा नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार स्कूल को बंद करने का हकदार था।

(इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित)। उक्त फैसले के खिलाफ रिट अपीलों को डिवीजन बेंच द्वारा 22.07.2015 पर खारिज कर दिया गया था, हालांकि, प्रधानाध्यापिका और अन्य लोगों द्वारा दायर रिट अपील में, डिवीजन बेंच द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था जिसमें उत्तरदाताओं को उनके निर्णय पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।

जिन अभ्यावेदनों के माध्यम से यह प्रार्थना की गई थी कि स्कूल को राज्य सरकार द्वारा लिया जाए और चलाया जाए। उपरोक्त आदेश पर केरल राज्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका संख्या दायर करके सवाल उठाया गया था। 27822-27827 2015 से। विशेष अनुमति याचिकाओं को निम्नलिखित आदेश द्वारा 05.10.2015 पर खारिज कर दिया गया थाः

" विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।

तथापि, प्रत्यर्थी-विद्यालय में बच्चों के हित में, श्री वी. गिरि, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

न्यायसंगत रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी-स्कूल इस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उनके साथ जारी रहेगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इन बच्चों को अगले शैक्षणिक सत्र से दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करना राज्य की जिम्मेदारी होगी।

वर्ष "।

5. राज्य के अधिकारियों ने बंद करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए

संस्थानों, इसलिए अपीलार्थी ने 2015 का अवमानना मामला (सी) संख्या 1045 होने के नाते एक अवमानना आवेदन दायर किया, जिसमें अवमानना आवेदन, विद्वान सरकारी प्लीडर ने प्रस्तुत किया कि प्रक्रियात्मक स्कूल बंद करने के संबंध में औपचारिकताओं का पालन किया गया है। किस कथन को ध्यान में रखते हुए, अवमानना मामले को 16.06.2016 पर बंद कर दिया गया था।

6. उपरोक्त तिथि से पहले, राज्य के मुख्यमंत्री ने अपीलार्थी की संस्था को अपने नियंत्रण में लेने के लिए 07.06.2016 पर निर्णय लिया।

अधिनियम की धारा 15 के तहत शक्ति का प्रयोग करने वाले अन्य तीन संस्थानों के साथ। मुख्यमंत्री द्वारा 07.06.2016 पर लिए गए निर्णय का मंत्री परिषद द्वारा 29.06.2016 पर समर्थन किया गया था। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से लेने के लिए 18.07.2016 दिनांकित प्रस्ताव पारित किया

अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत चार विद्यालयों पर। धारा 15 (1) के तहत एक अधिसूचना दिनांक 27.07.2016 जारी की गई थी। एक और अधिसूचना दिनांक 03.08.2016 जारी की गई थी जिसमें पहले की अधिसूचना दिनांक 27.07.2016 को इस हद तक संशोधित किया गया था कि स्कूल तय होने की तारीख से पूरी तरह से सरकार में निहित होंगे।

क्षतिपूर्ति। अपीलार्थी दिनांक 27.07.2016 की अधिसूचना से व्यथित है

2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 25790 के रूप में एक रिट याचिका दायर की गई जिसमें दिनांक 27.07.2016 की अधिसूचना के साथ-साथ दिनांकित अधिसूचना पर भी सवाल उठाया गया।

03.08.2016 . अधिनियम की धारा 15 को निरस्त करने के साथ-साथ नियम, 1959 के नियम 6,7 और 8 को अप्रिय घोषित करने की प्रार्थना भी की गई थी। हालांकि, अधिनियम और नियमों के प्रावधान को चुनौती देने की प्रार्थना पर जोर नहीं दिया गया है। रिट याचिका में, जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा संस्थान को अपने नियंत्रण में लेने के लिए 07.06.2016 पर निर्णय लिया गया था, जो संस्थान के वास्तविक बंद होने से पहले था। केरल विधान सभा द्वारा प्रस्ताव को

मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अधिसूचना उचित रूप से जारी की गई है। अन्य तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई ए. ए. पद्मनाभन बनाम।

केरल और ओआरएस का राज्य। [अशोक भूषण, जे।]

संबंधित रिट याचिकाओं के साथ, जो अपीलों के इस समूह में अन्य अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई थीं। सभी रिट याचिकाओं को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने फैसले और दिनांक 23.11.2016 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। दिनांक 23.11.2016 के फैसले के खिलाफ पीड़ित, अपीलार्थी ने 2016 की रिट अपील संख्या 2360 दायर की, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि हालाँकि अपीलार्थी का निवेदन किया गया था कि जिस तारीख को राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 15 के तहत स्कूलों को अपने नियंत्रण में लिया था, उस तारीख को स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त निवेदन को सही ढंग से नहीं समझा गया है। डिवीजन बेंच ने 09.12.2016 पर सभी अपीलों को खारिज कर दिया, जिससे अपीलकर्ताओं को विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता मिली। दिनांक 1 के फैसले के खिलाफ, अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका भी दायर की गई थी, जिसे अपीलार्थी द्वारा विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली गई थी। अपीलार्थी ने दिनांकित 23.11.2016 के फैसले की समीक्षा के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांकित 20.12.2016 के फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। दिनांकित 23.11.2016 आदेश के साथ-साथ चुनौती देना

पुनरीक्षण याचिका पर पारित दिनांक 1 का आदेश, खंड पीठ के समक्ष रिट अपील दायर की गई है। डिवीजन बेंच ने अपने दिनांकित 01.08.2017 के फैसले के माध्यम से रिट अपीलों को खारिज कर दिया है, इन अपीलों में हमारे सामने किस फैसले पर सवाल उठाया गया है।

7. के समर्थन में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

अपील में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

(क) राज्य सरकार केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 15 के तहत उस स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थी जो पहले ही बंद हो चुका है। द.

धारा 15 के तहत अधिसूचना स्वीकार्य रूप से 27.07.2016 पर जारी की गई है, जबकि प्रतिवादी के अपने मामले के अनुसार स्कूल 08.06.2016 पर बंद था। धारा 15 के तहत शक्ति का प्रयोग उस स्कूल के संबंध में किया जा सकता है जो अस्तित्व में है। बंद पड़े स्कूल को राज्य सरकार अपने नियंत्रण में नहीं ले सकती है।

(ख) स्कूल और उसकी संपत्तियों का अधिग्रहण राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विकास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार का सहारा लेने के बाद ही किया जा सकता था।

पुनर्वास अधिनियम, 2013 (इसके बाद इसे "2013 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा), मुआवजे का भुगतान करने के बाद, उपरोक्त 2013 अधिनियम के अनुसार खनन किया गया।

(ग) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 सूची 3 के अंतर्गत आने वाले राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 15 विरोधाभासी है और निम्नलिखित प्रावधानों के प्रतिकूल है -

समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 सूची 3 के तहत संसद द्वारा बनाया गया 2013 का अधिनियम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 को देखते हुए अमान्य है। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को कानून के प्रावधान को लागू करने की आड़ में बेदखल कर दिया है जो विषय वस्तु और प्रक्रिया पर लागू नहीं होता है

याचिकाकर्ता को बेदखल करना अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन है।

भारत का संविधान।

(घ) 2015 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 27827 को खारिज करने के निर्णय से स्कूल को बंद करने को अंतिम रूप मिल गया था, जब इस न्यायालय ने पारित किया था।

05.10.2015 पर ऑर्डर करें।

8. उपरोक्त निवेदन का खंडन करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील

केरल राज्य की ओर से पेश होते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 15 के तहत अपनी शक्ति का वैध रूप से प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री द्वारा 07.06.2016 पर स्कूल को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया गया था, जिस तारीख को स्कूल वास्तव में बंद नहीं किया गया था। इसलिए, अपीलार्थी के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि स्कूल पहले ही बंद कर दिया गया था और राज्य सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्यमंत्री के दिनांक 07.06.2016 के निर्णय को मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 29.06.2016 के निर्णय के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। अधिसूचना जारी करना स्कूल को संभालने के निर्णय के परिणामस्वरूप एक कदम है और वहाँ है

दिनांक 27.07.2016 की अधिसूचना जारी करने में कोई अवैधता नहीं है। यह है।

प्रस्तुत किया कि केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 15 का प्रावधान 2013 के अधिनियम के प्रावधानों से अलग क्षेत्र में काम करता है। न तो कोई विवाद है और न ही धारा 15 किसी भी तरह से है। 2013 के अधिनियम के प्रतिकूल। दोनों अधिनियम अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। राज्य द्वारा विद्यालयों को अपने नियंत्रण में लेने की कार्रवाई प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के अपने दायित्व के अनुपालन में विद्यालय चलाने के लिए है। धारा 15 स्वयं मुआवजे के भुगतान पर विचार करती है।

बाजार दर पर और कलेक्टर पहले ही स्कूलों का बाजार मूल्य निर्धारित कर चुके हैं, जिसका विवरण पहले ही जवाबी हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया जा चुका है। जिन स्कूलों को अपने हाथ में लिया गया था, उनमें से एक ने मुआवजे को स्वीकार कर लिया। 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 25622 दायर

करने वाले संस्थानों में से एक ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती नहीं दी है और इसे स्वीकार कर लिया है।

ए. ए. पद्मनाभन बनाम केरल और ओआरएस का राज्य। [अशोक भूषण, जे।]

9. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

संबंधित स्थिति प्रावधान

10. केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद राज्य में शैक्षणिक संस्थानों के बेहतर संगठन और विकास के लिए अधिनियमित किया गया था। धारा 2 उप-धारा (1) "सहायता प्राप्त विद्यालयों" को परिभाषित करती है और धारा 2 उप-धारा (9) में "विद्यालय" को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया हैः

" 2. (1) . " सहायता प्राप्त विद्यालय "से एक निजी विद्यालय अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकार से सहायता प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 337 के तहत अनुदान प्राप्त करने के हकदार शैक्षणिक संस्थान शामिल नहीं होंगे, सिवाय इसके कि वे अनुदान से अधिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

जिसके वे हकदार हैं;

2. (9) . " स्कूल में भूमि, भवन, खेल का मैदान शामिल हैं।

और विद्यालय के छात्रावास और चल संपत्तियाँ जैसे कि

फर्नीचर, किताबें, उपकरण, मानचित्र और उपकरण संबंधित हैं।

स्कूल जानाः "

11. केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 7, जो "स्कूलों के प्रबंधकों" से संबंधित है, में धारा 7 उप के तहत प्रावधान है।

धारा (6) प्रबंधक को स्कूल बंद करने से प्रतिबंधित करती है जब तक कि एक साल का नोटिस दिया जाता है। धारा 7 की उप-धारा (6) नीचे उद्धृत की गई हैः

" 7. (6) कोई भी प्रबंधक किसी भी स्कूल को तब तक बंद नहीं करेगा जब तक कि कोई एक न हो।

वर्ष का नोटिस, जो किसी भी वर्ष के 31 मई को समाप्त होता है, उसके ऐसा करने के इरादे का, अधिकृत अधिकारी को दिया गया है।

सरकार द्वारा इस संबंध में "।

इसके अलावा केरल शिक्षा नियम, 1959 के नियम 24 में निजी स्कूलों को बंद करने का प्रावधान है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 24. निजी स्कूलों को बंद करनाः - (1) किसी भी निजी स्कूल को निदेशक को एक साल का नोटिस दिए बिना बंद नहीं किया जाएगा, जो किसी भी वर्ष के 31 मई को समाप्त हो रहा है। सो.

[(2) निदेशक, प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, स्कूल को बंद करने की अनुमति दे सकता है और

ऐसे विद्यालय की मान्यता समाप्त हो जाएगी। [2018] 1 एस. सी. आर. के लिए कोई आवेदन नहीं।

अनुमति जारी होने के बाद नोटिस को वापस लेने पर विचार किया जाएगा जब तक कि निदेशक की संतुष्टि के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए जाते हैं। निदेशक का आदेश

मामला अंतिम होगा।] "

12. अधिनियम की धारा 15 में एक शीर्षक है "अधिग्रहण करने की शक्ति"

विद्यालयों की शिक्षा "। धारा 15 जो वर्तमान के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः

" 15. विद्यालयों की किसी भी श्रेणी का अधिग्रहण करने की शक्ति-(1) यदि -

सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सामान्य के मानकीकरण के लिए

राज्य में शिक्षा या साक्षरता के स्तर में सुधार के लिए

किसी भी क्षेत्र या सहायता प्राप्त क्षेत्र के अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए

किसी भी क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थान या जनहित में किसी भी श्रेणी की शिक्षा को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वे राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,

किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में सहायता प्राप्त स्कूलों की श्रेणी; और ऐसे विद्यालय ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट दिन से पूरी तरह से सरकार में निहित होंगे।

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि अधिग्रहण का प्रस्ताव समर्थित न हो।

विधान सभा के संकल्प द्वारा। (2) जहां कोई स्कूल उप-धारा (1) के तहत सरकार में निहित है, वहां उसके हकदार व्यक्तियों को उसके बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।

अधिसूचना की तारीखः बशर्ते कि जहां किसी चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण, निर्माण या सुधार इस उद्देश्य के लिए किया गया हो -

सरकार द्वारा दी गई सहायता या अनुदान के साथ विद्यालय

ऐसा अधिग्रहण, निर्माण या सुधार, देय क्षतिपूर्ति बाजार मूल्य से कटौती के बाद तय की जाएगी।

ऐसी सहायता या अनुदानों की राशियाँः बशर्ते कि चल संपत्तियों के मामले में देय क्षतिपूर्ति अधिसूचना की तारीख को उसका बाजार मूल्य या मूल्यह्रास से कम उसकी वास्तविक लागत, जो भी कम हो, होगी।

ए. ए. पद्मनाभन बनाम केरल और ओआरएस का राज्य। [अशोक भूषण, जे।]

(3) मुआवजे की राशि निर्धारित करने में और इसकी कलेक्टर के लिए हकदार व्यक्तियों के बीच विभाजन

ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निर्धारित की जाए। (4) कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति निर्धारित तरीके से जिला न्यायालय में अपील कर सकता है।

जिसके अधिकार क्षेत्र में स्कूल इस तरह के पुरस्कार की तारीख के साठ दिनों के भीतर स्थित है और न्यायाधीश का निर्णय होगा

अंतिम।

(5) इस धारा में कुछ भी अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होगा।

13. मुख्य प्रस्तुतियों में से एक, जिसे अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाया गया है, वह है उस तारीख को जब अधिसूचना के तहत धारा 15 जारी की गई थी, यानी 27.07.2016 पर, स्कूल पहले ही बंद हो चुका था, अधिनियम की धारा 15 के तहत शक्ति नहीं हो सकती थी

व्यायाम किया। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रबंधन द्वारा दायर रिट याचिका के बाद उच्च न्यायालय द्वारा बंद करने की अनुमति दी गई थी स्कूल, जिसे डिवीजन बेंच के साथ-साथ इस अदालत द्वारा 05.10.2015 पर पुष्टि की गई थी, स्कूल बंद था, जिसने राज्य सरकार को धारा 15 के तहत शक्ति का प्रयोग करने में अक्षम कर दिया। हम पहले से ही

स्कूल को बंद करने के लिए प्रबंधन द्वारा रिट याचिका दायर करने के तथ्य पर ध्यान दिया, जिसकी अनुमति 08.06.2015 पर दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ रिट अपील दायर की गई थी, जिसका फैसला 22.07.2015 पर डिवीजन बेंच द्वारा किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित, संस्थान की प्रधानाध्यापिका के साथ-साथ अभिभावक-शिक्षक संघ द्वारा भी रिट अपील दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार को संस्थानों को संभालने का निर्देश देने के लिए राहत की प्रार्थना की गई थी। इस संदर्भ में, डिवीजन बेंच के फैसले के पैरा 27 का उल्लेख करना उपयोगी होगा, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि करते हुए, डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को उन अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया, जो सरकार द्वारा स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने के निर्देश देने के लिए प्रस्तुत किए गए थे। पैरा 27 इस प्रकार हैः

" ..... हालाँकि, यह अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा तय किया जाने वाला मामला है और इसलिए, हालाँकि हम कोई बाध्यकारी जारी नहीं कर सकते हैं।

सरकार को निर्देश दें, लेकिन केवल यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वे अधिकारी जिनके समक्ष बाहर जाते हैं। डब्ल्यू. पी. में पी17 और पी18 प्रतिनिधित्व (ग) 12205/15 लंबित हैं जो इस दावे पर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे और अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लें। "[2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. जैसा कि ऊपर देखा गया है, रिट अपीलों के खिलाफ, विशेष अनुमति

केरल राज्य द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसे 05.10.2015 पर खारिज कर दिया गया था। हालाँकि याचिका को खारिज करते हुए, एक निर्देश दिया गया था कि स्कूलों के बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के अंत तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी और उसके बाद उन्हें दूसरे स्कूल में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रबंधन ने अवमानना याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि स्कूलों को बंद करने के संबंध में अदालत के आदेशों को राज्य द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है, जिसे सरकारी वकील के बयान को ध्यान में रखते हुए 16.06.2016 पर अवमानना बंद कर दिया गया था कि स्कूल को बंद करने के संबंध में सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया है। प्रबंधक द्वारा दायर रिट याचिका में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 23.11.2016 के फैसले में स्कूल को बंद करने की वास्तविक तारीख के बारे में निष्कर्ष वापस कर दिए हैं। के पैरा 9 में फैसला निम्नलिखित रूप में दिया गया थाः

‘ ..... 10.06.2016 पर स्कूलों को बंद कर दिया गया था

डब्ल्यू. पी. का मामला। (ग) न. मामले में 09.06.2016 पर 25292/2016

डब्ल्यू. पी. (ग) डब्ल्यू. पी. के मामले में No.25619/2016,08.06.2016 पर। (सी)

नं. डब्ल्यू. पी. के मामले में 07.06.2016 पर 25622/2016। (ग) सं. 25695 / 2016 और W. P. के मामले में 10.06.2016 पर। (ग) सं. 25790/2016।

राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए गए शपथ पत्र

अवमानना के मामलों से संकेत मिलता है कि सभी अभिलेखों को सौंपना और

विद्यालयों को बंद करने के लिए अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं

कुछ ही समय बाद इसे पूरा कर लिया गया। अदालत की अवमानना के मामले, जो यहाँ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए थे, उन सभी का निपटारा किया गया था

हलफनामे के आधार पर स्कूलों को बंद करने के तथ्य को दर्ज करना राज्य सरकार की ओर से दायर किया गया। यह उल्लेख योग्य है।

यहाँ कि, राज्य की ओर से दायर हलफनामे में, यह स्पष्ट रूप से था

कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि

के तहत शक्तियों का आह्वान करके सार्वजनिक हित में स्कूलों का अधिग्रहण करना केई अधिनियम की धारा 15 "।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच ने भी

यह देखा कि मुख्यमंत्री ने सत्ता के प्रयोग के संबंध में वित्त मंत्री से परामर्श करने के बाद पहले ही 07.06.2016 पर निर्णय ले लिया है धारा 15 के तहत स्कूलों को बंद करना। अधिनियम की धारा 15 (1) में "यदि सरकार संतुष्ट है" शब्दों का उपयोग किया गया है।

वे

कर सकते हैं

राजपत्र में अधिसूचना, किसी भी निर्दिष्ट दिन से प्रभावी होती है

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत कोई अधिसूचना नहीं

उसमें. तब तक जारी किया जाएगा जब तक कि अधिग्रहण का प्रस्ताव द्वारा समर्थित न हो

विधान सभा का संकल्प "। उपरोक्त वैधानिक योजना ए. ए. पद्मनाभन बनाम।

केरल और ओआरएस का राज्य। [अशोक भूषण, जे।]

यह इंगित करता है कि धारा 15 के तहत शक्ति के प्रयोग में तीन चरण हैं, वे हैंः (क) सरकार को इस बात से संतुष्टि हो कि लोक हित में किसी भी श्रेणी की संस्था का नियंत्रण लेना आवश्यक है; (ख) किसी भी श्रेणी की संस्था को अपने नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव को विधानसभा द्वारा अनुमोदित करने का प्रस्ताव।

स्कूल; और (ग) राजपत्र में किसी भी श्रेणी के सहायता प्राप्त स्कूलों को उसमें निर्दिष्ट किसी भी दिन से संभालने के लिए अधिसूचना जारी करना।

16. धारा 15 की उप-धारा (1) में सरकार की संतुष्टि राज्य के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने का पहला चरण है।

जब कोई मंत्री कार्य के नियमों के अनुसार कोई कार्रवाई करता है, तो यह सार और रूप दोनों में राज्यपाल की कार्रवाई होती है। समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्न मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ। , (1974) 2 एस. सी. सी. 831 भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के कार्य के संबंध में अनुच्छेद 30 और 31 में निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुएः

क्रमशः भारत सरकार या राज्य सरकार के व्यवसाय के सुविधाजनक लेन-देन के लिए या उक्त व्यवसाय के अपने मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम, अनुच्छेद 77 (3) और 166 (3) क्रमशः। जहाँ कहीं भी संविधान राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि की अपेक्षा करता है

राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किसी भी शक्ति या कार्य का प्रयोग, [2018] 1 एस. सी. आर.

उदाहरण के लिए, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 123,213,311 (2) परंतुक (सी), 317,352 (1), 356 और 360 में संविधान द्वारा अपेक्षित संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है या राज्यपाल की, लेकिन सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत संवैधानिक अर्थों में राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि है। इसके कारण ये हैं। यह उस मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है जिसकी सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल आम तौर पर अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं। न तो अनुच्छेद 77 (3) और न ही अनुच्छेद 166 (3) किसी भी शक्ति के प्रत्यर्पण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 77 (3) और 166 (3) दोनों में प्रावधान है कि अनुच्छेद 77 (3) के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 166 (3) के तहत राज्यपाल सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन-देन और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएँगे। कार्य के नियम और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन सभी इंगित करते हैं कि

इन दो अनुच्छेदों के तहत किए गए कार्य नियमों के तहत किसी भी मंत्री या अधिकारी का निर्णय। राष्ट्रपति के मामले में अनुच्छेद 77 (3) और राज्य के राज्यपाल के मामले में अनुच्छेद 166 (3) क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल का निर्णय होता है।

31. इसके अलावा कार्य के नियम और मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन राष्ट्रपति के मामले में अनुच्छेद 53 और राज्यपाल के मामले में अनुच्छेद 154 में निहित प्रावधानों से संबंधित है, कि कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रपति के मामले में अनुच्छेद 74 और राज्यपाल के मामले में अनुच्छेद 163 में निहित प्रावधान कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को, यथास्थिति, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, कार्य नियमों के स्रोत हैं। ये प्रावधान राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर सरकार की कार्यकारी शक्तियों और कार्यों के निर्वहन के लिए हैं। जहाँ एक को सौंपे गए कार्य

मंत्री का कार्य मंत्री के विभाग में कार्यरत एक अधिकारी द्वारा किया जाता है, कानून में कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं होता है क्योंकि संवैधानिक रूप से अधिकारी का कार्य या निर्णय मंत्री का होता है। अधिकारी केवल सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए एक तंत्र है।

एक मंत्री के लिए (हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड 4 थ एड देखें। , खण्ड. 1, पी पर अनुच्छेद 748। 170 और कार्ल्टोना लिमिटेड बनाम। कृतियाँ

आयुक्त)। ”

ए. ए. पद्मनाभन बनाम केरल और ओआरएस का राज्य। [अशोक भूषण, जे।]

17. एक पूर्ववर्ती संविधान पीठ का निर्णय, अर्थात A.Sanjeevi नायडू,

आदि। बनाम मद्रास राज्य और अन्र। , (1970) 1 एस. सी. सी. 443, जिसे मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68 (सी) माना जाता है, जो धारा निम्नलिखित रूप में प्रदान करती हैः

. जहाँ किसी राज्य परिवहन उपक्रम की राय है कि एक कुशल, पर्याप्त, किफायती और उचित रूप से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि सामान्य रूप से सड़क परिवहन सेवाएँ या कोई अन्य
किसी भी क्षेत्र या मार्ग या उसके हिस्से के संबंध में ऐसी सेवा का विशेष वर्ग राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाया और संचालित किया जाना चाहिए, चाहे अन्य व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक रूप से या अन्यथा, राज्य परिवहन उपक्रम प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं की प्रकृति, प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग को शामिल करने और उसके संबंध में ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जाएं, के बारे में विवरण देते हुए एक योजना तैयार कर सकता है और ऐसी प्रत्येक योजना को आधिकारिक राजपत्र में और इस तरह से अन्य तरीके से भी प्रकाशित कराएगा कि राज्य सरकार

निर्देशन कर सकते हैं। "

18. धारा 68 उपखंड (सी) का अवलोकन इंगित करता है कि शब्द

प्रावधान में उपयोग किया जाता है "जहां किसी भी राज्य परिवहन उपक्रम की राय है

राज्य परिवहन उपक्रम एक योजना तैयार कर सकता है और ऐसी प्रत्येक योजना को राजपत्र में प्रकाशित कराएगा। के नियम 23 (ए) से संबंधित व्यवसाय के नियमों में

मद्रास सरकार के व्यापार नियम, शक्तियाँ और कार्य जो राज्य परिवहन उपक्रम धारा 68 (सी) के तहत प्रयोग कर सकते हैं, राज्य सरकार की ओर से उद्योग, श्रम और आवास विभाग में मद्रास सरकार के सचिव द्वारा निर्वहन किए जाने थे। संविधान पीठ ने माना कि सरकार के सचिव का निर्णय कार्य नियमों के अनुसार राज्यपाल का निर्णय होता है। पैरा नंबर में। 10 , 11 और 12, निम्नलिखित कहा गया थाः

" 10. मंत्रिमंडल प्रत्येक कार्रवाई के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है।

किसी भी मंत्रालय में लिया गया। यही संयुक्त का सार है जिम्मेदारी। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद की राजनीतिक जिम्मेदारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भविष्यवाणी नहीं करती है और न ही कर सकती है।

सभी या किसी भी सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी। इसी तरह एक व्यक्तिगत मंत्री [2018] 1 एस. सी. आर. होता है।

सरकार। जब कोई सिविल सेवक कोई निर्णय लेता है, तो वह अपने मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में ऐसा नहीं करता है। वह सरकार की ओर से ऐसा करता है। एक मंत्री के लिए अपने मंत्रालय में किसी भी फाइल को बुलाने और आदेश पारित करने के लिए हमेशा खुला रहता है। वह अपने मंत्रालय के अधिकारियों को आम तौर पर या किसी विशिष्ट मामले के संबंध में सरकारी कार्य के निपटारे के संबंध में निर्देश भी जारी कर सकता है। विषय सभी शक्तियों पर, "नियमों" या स्थायी आदेशों द्वारा नामित अधिकारी, की ओर से निर्णय ले सकते हैं

सरकार। ये अधिकारी सरकार के अंग हैं न कि इसके प्रतिनिधि।

11. सम्राट वी। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 59 (3) को अनुच्छेद 166 (3) के समान प्रावधान बताते हुए, न्यायिक समिति ने माना कि यह राज्यपाल की क्षमता के भीतर है कि वह एक सिविल सेवक को उचित नियम बनाकर सरकार के किसी विशेष कार्य को करने का अधिकार देता है। उस मामले में उनके अधिपतियों ने आगे कहा कि सिविल सेवकों की तरह मंत्री राज्यपाल के अधीनस्थ होते हैं। कल्याण सिंह बनाम। यू. पी. 2 की स्थिति इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के एक अधिकारी द्वारा बनाई गई राय धारा 68 (सी) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैः

जिसे, व्यवसाय के नियमों के तहत, व्यवसाय का संचालन सौंपा गया है और वह राय, कानून में, राज्य सरकार की राय होगी। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि सभी परिवहन विभाग में संबंधित अधिकारी

मसौदा योजना पर विचार किया गया और उक्त योजना अंततः ए. ए. पद्मनाभन बनाम थी।

केरल और ओआरएस का राज्य। [अशोक भूषण, जे।]

अधिसूचना जारी होने से पहले परिवहन विभाग के सचिव द्वारा अनुमोदित। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त विभाग के सचिव के पास कार्य के नियमों के तहत राज्य सरकार के लिए कार्य करने की शक्ति है। इसलिए, हम मानते हैं कि वर्तमान मामले में राय राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा अधिनियम की धारा 68 (सी) के अर्थ के भीतर बनाई गई थी, और यह कि उक्त योजना की शुरुआत के तरीके में कुछ भी अवैध नहीं था।

12. ईश्वरलाल गिरधरलाल जोशी आदि में v. गुजरात राज्य 3 इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत उप सचिव द्वारा बनाई गई राय नहीं हो सकती है।

राज्य सरकार की राय मानी जाए। इसके बाद

सरकार को विनियमित करने वाले व्यवसाय के नियमों का उल्लेख करते हुए

व्यवसाय, इस न्यायालय ने पी. 282 :

" हमारे मामले में संबंधित सचिवों को सरकार की ओर से कार्रवाई करने और धारा 6 के तहत अधिग्रहण की आवश्यकता, मामले की तात्कालिकता और अपशिष्ट और कृषि योग्य के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया था

धारा 17 की उप-धारा (1) और (4) को लागू करने के लिए भूमि। व्यवसाय के नियमों और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उनका निर्धारण सरकार का निर्धारण बन गया और कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता था।

19. मुख्यमंत्री ने 07.06.2016 पर वित्त मंत्री के परामर्श से चार स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया। यह. उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी कि मुख्यमंत्री विद्यालयों के अधिग्रहण के संबंध में राज्य के कार्य नियमों के तहत निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। यह तर्क दिया जा रहा है कि स्कूल के अधिग्रहण के लिए धारा 15 के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीख तक स्कूल का अस्तित्व बना रहना था और यदि स्कूल बंद है, तो अधिसूचना की तारीख से पहले की कोई भी तारीख, धारा 15 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। का प्रबंधन

संस्थान ने उपरोक्त मुद्दे पर जोर देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के बाद एक समीक्षा याचिका भी दायर की है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मुद्दे को विस्तार से निपटाया है और कहा है कि धारा 15 द्वारा विचार किए गए संतोष पर 07.06.2016 पर पहुंचा गया था जब मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था। विद्वान एकल न्यायाधीश (न्यायमूर्ति A.K.Jayasankaran नाम्बियार) ने इस मुद्दे पर व्यापक रूप से विचार किया और निम्नलिखित राय व्यक्त की:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

.....शक्ति का प्रयोग केवल राज्य सरकार के संतुष्ट होने पर सशर्त किया जाता है कि उसमें इंगित एक या सभी कारक मौजूद हैं, जिससे यह राज्य के लिए आवश्यक हो जाता है। सरकार जनहित में कार्य करे। मेरे विचार में, यह केवल इस स्तर पर है कि एक सहायता प्राप्त विद्यालय विषय वस्तु के रूप में मौजूद होना चाहिए, जिसके संबंध में राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेने के संबंध में पालन की जाने वाली प्रक्रिया

किसी प्रस्ताव को तैयार करना और उसे राज्य की विधान सभा के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखना, औपचारिक अधिसूचना जारी करने से पहले, केवल उस निर्णय के वैध कार्यान्वयन या निष्पादन को सुनिश्चित करता है जो धारा के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए लिया जाता है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि एक बार सहायता प्राप्त विद्यालय को प्रस्तावित अधिग्रहण के विषय के रूप में पहचाने जाने के बाद, राज्य सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के चरण के दौरान इसे बंद करने का कोई परिणाम नहीं होगा, और यह राज्य सरकार द्वारा शक्ति के वैध प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा। जहां तक राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 29.06.2016 पर मंत्रिमंडल के निर्णय का प्रभाव मुख्यमंत्री द्वारा 07.06.2016 पर लिए गए निर्णय की पुष्टि करने पर पड़ा और इसलिए राज्य सरकार का निर्णय प्रभावी ढंग से लिया गया।

यह 07.06.2016 से संबंधित है।

20. धारा 15 (1) के तहत वैधानिक योजना को देखते हुए, हमारी राय है कि सरकार की संतुष्टि

धारा 15 सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि है, जो व्यवसाय के नियमों के तहत निर्णय ले सकता है। हमने ऊपर विद्यालय को वास्तविक रूप से बंद करने की तारीख के बारे में विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों पर ध्यान दिया है, जिसके निष्कर्ष की अनुभाग पीठ ने रिट अपील में विशेष रूप से पुष्टि की है कि विद्यालय को बंद करने का निर्णय आई. डी. 1 या उसके बाद हुआ था और जिस तारीख को मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था, उस तारीख को विद्यालय को वास्तविक रूप से बंद नहीं किया गया था। तथ्य यह है कि अवमानना याचिका प्रबंधन द्वारा दायर की गई थी, जिसे 16.06.2015 पर बंद कर दिया गया था

राज्य ने संस्थानों को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया है। इस प्रकार, जिस दिन मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, उस दिन स्कूल के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। 21. अन्य दो कदम जो ऊपर देखे गए हैं, अर्थात् विधान सभा की मंजूरी और राजपत्र में अधिसूचना जारी करना ए. ए. पद्मनाभन बनाम।

केरल और ओआरएस का राज्य। [अशोक भूषण, जे।]

प्रक्रिया के पूरा होने के संबंध में आगे के कदम और जिस तारीख को सरकार संतुष्ट थी कि स्कूल का अधिग्रहण करना जनहित में है, स्कूल अस्तित्व में था, उक्त निर्णय को अपनी प्रभावशीलता खोने के लिए नहीं कहा जा सकता है, भले ही धारा 15 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले स्कूल वास्तव में बंद था। जब 07.06.2016 पर लिया गया निर्णय स्कूल को बंद करने के लिए वैध था, तो यह शक्ति का वैध प्रयोग था और उक्त निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं हो सकती है, भले ही अपीलकर्ता के अनुसार, विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने से पहले स्कूल को बंद कर दिया गया हो या 27.07.2016 पर अधिसूचना जारी की गई हो। इसे खोला जा सकता था विधान सभा कोनो बादक वैध कारण सहित कोनो कारणसँ प्रस्तावकेँ अनुमोदन नहि करत, मुदा विधान सभा द्वारा अनुमोदन कयलाक बाद अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त प्रस्तुतिक बल पर कोनो पूँजी प्राप्त नहि कयल जा सकैत अछि।

22. हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए इस विचार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं कि जिस तारीख को सरकार ने निर्णय लिया था, यानी मुख्यमंत्री ने 07.06.2016 पर स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया था। द.

वास्तव में स्कूल बंद नहीं थे।

23. एक और कारण है जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा विधान सभा द्वारा अनुमोदित निर्णय और

राजपत्र में अधिसूचित किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि जिन संस्थानों को अपने नियंत्रण में लिया गया है, वे प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) के साथ-साथ बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, राज्य को प्राथमिक (उच्च प्राथमिक और निम्न प्राथमिक) शिक्षा प्राप्त करने वाले 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी कदम उठाने होंगे। राज्य का उन प्राथमिक विद्यालयों को चलाने का निर्णय जिन्हें उनके संबंधित द्वारा बंद करने का निर्णय लिया गया था

प्रबंधन जनहित में और शिक्षा के हित में था। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के स्कूलों को सीधे सरकार द्वारा संचालित करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

24. अपीलार्थी के जोर से रखे गए तर्क का एक और अंग है -

यदि विद्यालयों की संपत्तियों का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाना था, तो राज्य को अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का सहारा लेना चाहिए था। यह तर्क दिया जाता है कि स्कूलों के मालिकों को उनकी संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वे स्पष्ट रूप से अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार हैं। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम, 2013 एक संसदीय अधिनियम होने के कारण

अधिनियम, 1958 की धारा 15 में निहित विद्यालयों की संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान।

25. केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 एक राज्य अधिनियम है जो शिक्षा के लिए संदर्भित है। सूची III में इसके प्रतिस्थापन से पहले शिक्षा का प्रवेश यह संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा सूची दो प्रविष्टि 11 में शामिल किया गया था। प्रविष्टि 11 सूची II को हटा दिया गया था और विषय को सूची III की प्रविष्टि 25 में शामिल करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था, जो इस प्रकार हैः

" 25. तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा, सूची I की प्रविष्टियों 63,64,65 और 66 के प्रावधानों के अधीन; व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण

श्रम "।

26. संपत्ति का अधिग्रहण प्रविष्टि 42 सूची III के अंतर्गत आता है। प्रविष्टि 42 सूची III इस प्रकार हैः

" 42. संपत्ति का अधिग्रहण और अधिग्रहण।

27. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 के तहत योजना का एक हिस्सा धारा 15 के अनुसार राज्य द्वारा स्कूल का अधिग्रहण किया जा रहा है। राज्य धारा 15 में निहित उद्देश्य और उद्देश्य के लिए एक विद्यालय का अधिग्रहण करने का हकदार है। सरकार निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए स्कूल को अपने नियंत्रण में लेने की हकदार है किः

(i) राज्य में सामान्य शिक्षा के मानकीकरण के लिए, या

(ख) किसी भी क्षेत्र में साक्षरता के स्तर में सुधार के लिए, या

(iii) सहायता प्राप्त शिक्षा के अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए।

किसी भी क्षेत्र में संस्थान, या

(iv) किसी भी श्रेणी की शिक्षा को उनके प्रत्यक्ष अधीन लाने के लिए।

लोक हित में नियंत्रण।

28. वर्तमान मामले में राज्य सरकार ने शिक्षा के हित में जनहित में स्कूल को अपने हाथ में ले लिया है। धारा 15 के तहत राज्य को दी गई शक्ति अलग और शक्ति से अलग है।

जो अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत राज्य के अधिकार में है।

29. यह तर्क दिया जाता है कि धारा 15 अधिनियम, 2013 के प्रतिकूल होने के कारण, जो एक संसदीय अधिनियम है, यह अधिनियम, 1958 को ओवरराइड करेगी।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 उपखंड (1) को ध्यान में रखते हुए।

ए. ए. पद्मनाभन बनाम केरल और ओआरएस का राज्य।

[अशोक भूषण, जे।]

30. असंगति/प्रतिकूलता का पता लगाने के लिए सिद्धांत

इस न्यायालय द्वारा दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 648 में दो कानूनों के बीच निर्धारित किया गया था। के. सुब्बा राव, जे. ने न्यायालय की ओर से पैराग्राफ 29 में कहाः

" 29 ..... इस प्रकार निम्नलिखित तीन सिद्धांतों के आधार पर दो कानूनों के बीच असंगतता का पता लगाया जा सकता हैः

(1) क्या दोनों के बीच सीधा संघर्ष है

प्रावधान;

(2) क्या संसद विषय के संबंध में एक विस्तृत संहिता निर्धारित करने का इरादा रखती है-अधिनियम के स्थान पर मामला

राज्य विधानमंडल और
(3) क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक ही क्षेत्र में आता है।

31. केरल राज्य में यह न्यायालय और अन्य बनाम मार अप्रेम

कुरी कंपनी लिमिटेड और एक अन्य, (2012) 7 एस. सी. सी. 106, ने पैराग्राफ 47 में कहा किः

" 47. संसदीय विधान और राज्य विधान के बीच प्रतिकूलता का प्रश्न दो तरह से उत्पन्न होता है। पहला, जहां विधान, हालांकि अपने आवंटित क्षेत्रों में मामलों के संबंध में अधिनियमित किए गए हैं, ओवरलैप और संघर्ष करते हैं। दूसरा, जहां दोनों विधान समवर्ती सूची के मामलों के संबंध में हैं।

और एक संघर्ष है। दोनों स्थितियों में,

संसदीय विधान, पहले में, अनुच्छेद 246 (1) में अबाधित खंड के आधार पर प्रबल होगा; दूसरे में, अनुच्छेद 254 (1) के कारण।

इस न्यायालय द्वारा केरल राज्य मामले (ऊपर) को दिए गए प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है।

32. इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि यदि सातवीं अनुसूची की दो या दो प्रविष्टियों में कोई अतिव्याप्ति पाई जाती है

विधानों में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपने वास्तविक इरादे और उद्देश्य का पता लगाए और विशेष विधान की उसके सार और सार में जांच करे। में।

कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1994) 3 एस. सी. सी. 569, निम्नलिखित पैराग्राफ 59 और 60 में अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 59 ..... लेकिन ऐसा करने से पहले हम उन सिद्धांतों को संक्षेप में इंगित कर सकते हैं जो [2018] 1 एस. सी. आर. में प्रविष्टियों को समझने के लिए लागू किए जाते हैं।

विधायी सूचियाँ। यह निर्धारित किया गया है कि प्रविष्टियों को संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए और इन प्रविष्टियों की भाषा को व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए। कभी-कभी अलग-अलग सूचियों या एक ही सूची में प्रविष्टियाँ ओवरलैप या एक दूसरे के साथ सीधे संघर्ष में पाई जा सकती हैं। उस स्थिति में यह पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य है कि सच्चे इरादे और उद्देश्य और विशेष की जांच करना

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह एक या दूसरी सूचियों में फिट बैठता है, अपने 'आधार और सार' में कानून। [देखिएः सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड v. यू. पी. का राज्य ; इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम टी. एन. राज्य]

60. पीठ और पदार्थ का यह सिद्धांत तब लागू होता है जब

एक के संबंध में एक विधानमंडल की विधायी क्षमता

विशेष अधिनियम को विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के संदर्भ में चुनौती दी जाती है अर्थात एक सूची में विषय से संबंधित कानून भी दूसरी सूची में एक विषय को छू रहा है। ऐसे मामले में, अधिनियम के सार और सार का पता लगाया जाना चाहिए। विचाराधीन अधिनियम की जांच करने पर, यदि यह पाया जाता है कि उस कानून को लागू करने वाले विधानमंडल को सौंपे गए मामले पर कानून सार में एक है, तो उस अधिनियम को किसी भी आकस्मिक के बावजूद समग्र रूप से वैध माना जाना चाहिए।

अपनी क्षमता से परे मामलों पर, अर्थात अन्य विधायिका से संबंधित सूची में शामिल किसी मामले पर, हस्तक्षेप करना। कहने के लिए

अलग तरह से, आकस्मिक अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं है

मना किया गया "।

33. ए. एस. कृष्णा और अन्य बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1957 97 में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 10. यह मुद्दा सीधे प्रिवी के समक्ष निर्णय के लिए उठा

प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम में परिषद द बैंक ऑफ

कॉमर्स लिमिटेड [1946 74 आई. ए. 23 वहाँ, सवाल यह था कि क्या बंगाल धन-ऋणदाता अधिनियम, 1940, जो एक साहूकार द्वारा अपने ऋणों पर मूलधन और ब्याज के लिए वसूली योग्य राशि को सीमित करता है, जहां तक यह वचन पत्रों से संबंधित है, वैध था। मद 27 के तहत धन-ऋण देना प्रांतीय विधानमंडल की अनन्य क्षमता के भीतर है।

सूची II, लेकिन वचन पत्र केंद्र के लिए आरक्षित एक विषय है, सूची I, मद 28 के अनुसार। प्रिवी काउंसिल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विवादित कानून का सार और सार धन की शुरुआत करता है

ऋण देना, यह वैध था इसके बावजूद कि यह संयोग से ए. ए. पद्मनाभन बनाम।

केरल और ओआरएस का राज्य। [अशोक भूषण, जे।]

प्रविष्टि 28 के तहत केंद्र के लिए आरक्षित कानून के क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया। इसके अनुमोदन के बाद सुब्रमण्यन चेट्टियार बनाम में सर मौरिस ग्वायर सी. जे. की टिप्पणियों को उद्धृत किया गया। मुत्तूस्वामी गौंडन, (ऊपर) ऊपर उद्धृत, लॉर्ड पोर्टर

देखा गयाः

" उनके अधिपति इस बात से सहमत हैं कि यह परिच्छेद सही है

यह उन आधारों का वर्णन करता है जिन पर यह नियम स्थापित किया गया है और यह भारतीय के साथ-साथ डोमिनियन कानून पर भी लागू होता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछली कठिनाइयों के अनुभव ने

भारतीय अधिनियम के प्रावधान कुछ विवरणों में अधिक सटीक हैं, और समवर्ती सूची के अस्तित्व ने उन मामलों के बीच अंतर करना आसान बना दिया है जो इसमें आवश्यक हैं।

यह निर्धारित करना कि किस सूची के लिए विशेष प्रावधान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और जो केवल आकस्मिक हैं। लेकिन दो के लिए तीन सूचियों को प्रतिस्थापित करके, या यहां तक कि अधिकार क्षेत्रों के पदानुक्रम की व्यवस्था करके भी विषय-वस्तु के अतिव्यापी होने से बचा नहीं जा सकता है। विषयों को अभी भी ओवरलैप करना चाहिए, और वे कहाँ करते हैं, सवाल पूछा जाना चाहिए कि किस शिकायत के अधिनियमन का वास्तविक प्रभाव क्या है, और किस सूची में इसकी वास्तविक प्रकृति और चरित्र पाया जाना है। यदि ये प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो कानून को लाभान्वित करना चाहिए।

जन्म के समय संतुष्ट किया जाएगा, और प्रांतीय कानून को सौंपे गए कई विषयों को कभी भी प्रभावी ढंग से नहीं निपटाया जा सकता था

के साथ "। "

34. आगे भारत संघ और अन्य बनाम शाह गोवर्धन एल. काबरा शिक्षक महाविद्यालय, (2002) 8 एस. सी. सी. पैराग्राफ 7 में 228

निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

" 7. यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि अलग-अलग सूचियों में प्रविष्टियों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, बिना कोई संक्षिप्त विवरण दिए।

उनमें से किसी के लिए भी। संसद और राज्य की शक्ति

प्रविष्टि को इसका व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए लेकिन इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि यह किसी अन्य प्रविष्टि को ओवरराइड कर दे या किसी अन्य प्रविष्टि को अर्थहीन बना दे। और विभिन्न प्रविष्टियों के बीच एक स्पष्ट संघर्ष के मामले में, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह उन्हें सुलझाए। जब यह अदालत में पेश होता है

यह कि दोनों प्रविष्टियों के बीच स्पष्ट रूप से अतिव्यापी है, "पीठ और सार" के सिद्धांत को एक विधान की वास्तविक प्रकृति और उस प्रविष्टि का पता लगाने के लिए लागू किया जाना चाहिए जिसके भीतर यह आएगा।

सूची I और सूची II में प्रविष्टियों के बीच टकराव के मामले में, इसे "पीठ और सार" के सिद्धांत को लागू करके तय किया जाना चाहिए। "सार और सार" के सिद्धांत का अर्थ है कि यदि कोई अधिनियम काफी हद तक संविधान द्वारा उसे अधिनियमित करने वाले विधानमंडल को स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों के भीतर आता है, तो इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि यह संयोग से किसी अन्य विधानमंडल को सौंपे गए मामलों का अतिक्रमण करता है। जब किसी कानून को विधायी क्षमता से परे माना जाता है, तो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि कानून का वास्तविक स्वरूप क्या है। यदि इस तरह की जांच में यह पाया जाता है कि विधानमंडल को सौंपे गए किसी मामले पर कानून सार में एक है, तो इसे पूरी तरह से वैध माना जाना चाहिए, भले ही यह संयोग से उन मामलों पर खाई बना सकता है जो इसकी क्षमता से बाहर हैं। अधिनियम के वास्तविक स्वरूप की जांच करने के लिए, पूरे अधिनियम, इसके उद्देश्य, दायरे और प्रभाव पर गौर करने की आवश्यकता है। एक अन्य विधान के क्षेत्र में आक्रमण का प्रश्न डिग्री से नहीं बल्कि सार से निर्धारित किया जाना है। "सार और सार" के सिद्धांत को न केवल दो विधानसभाओं की शक्तियों के बीच संघर्ष के मामलों में लागू किया जाना चाहिए, बल्कि किसी भी मामले में जहां सवाल उठता है कि क्या कोई कानून विशेष विधायी शक्ति द्वारा कवर किया गया है जिसका प्रयोग करके इसे बनाया जाना है।

15 (2) यह प्रावधान किया गया है कि जहां कोई स्कूल उप-धारा (1) के तहत सरकार में निहित है, वहां उसके हकदार व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान उनकी बाजार कीमत के आधार पर किया जाएगा। अधिसूचना।

36. वर्तमान मामले में जवाबी हलफनामे में राज्य ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मुआवजे का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया गया है। में।

जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित कहा गया है:

" 12.जिन 4 विद्यालयों का अधिग्रहण किया गया है, उनमें से

सरकार, मुआवजे को मंजूरी दी गई है

बाजार के अनुसार निम्नलिखित 3 विद्यालयों के पूर्व प्रबंधक

मूल्य।

ए. ए. पद्मनाभन बनाम केरल और ओआरएस का राज्य। [अशोक भूषण, जे।]

(i) ए. यू. पी. स्कूल, मलपरम्बा

जी. ओ. के अनुसार रु. 5,85,86,710/-। (आरटी) No.181 / 2017 (GEdn दिनांकित 25.01.2017।

((ii) ए. यू. पी. स्कूल, पलट, कोझिकोड

Rs.56,09,947/- जी. ओ. के अनुसार। (आरटी) No.2289 /

2017 / गेडन दिनांकित 11.07.2017 &

जी. ओ (आरटी) No.6047/2017/फिन

दिनांकित

31.07.2017 .

(iii) P.M.L.P. स्कूल, किरालूर, त्रिशूर

रु. 79,54,550 / - जी. ओ. के अनुसार (आरटी) नहीं। 2289 /

2017 / गेडन दिनांकित 11.07.2017 और जी. ओ.

(आर. टी.) सं. 6047/2017/फिन दिनांकित

31.07.2017 .

37. यह भी ध्यान देने योग्य है कि धारा 15 उप-धारा के तहत

(4) , कलेक्टर के आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को अधिकार है -

जिला न्यायालय में अपील करें।

38. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को लागू करना।

उल्लेखनीय मामलों में, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अधिनियम, 1958 और अधिनियम, 2013 विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और अधिनियम, 1958 की धारा 15 किसी भी तरह से ओवरराइड या ओवरराइड नहीं है।

अधिनियम, 2013 के प्रतिकूल। के अभ्यास में कोई अयोग्यता नहीं थी

धारा 15 के तहत राज्य सरकार की स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति। मालिक अधिसूचना की तारीख को बाजार दर पर मुआवजे के हकदार होने के कारण, संपत्ति पर कब्जा करने की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए की आवश्यकता का पूर्ण अनुपालन है। इस प्रकार, हम अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील के इस प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

39. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस पर भरोसा रखा है कि

भुसावल नगर परिषद बनाम निवृति रामचंद्र फलक और अन्य, (2015) 14 एस. सी. सी. 327 में इस न्यायालय का निर्णय। भुसावल नगर परिषद ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भूमि में संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की बढ़ी हुई राशि के 50 प्रतिशत के भुगतान की सीमा तक अंतरिम राहत दी गई थी।

यह तर्क देते हुए कि भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था, परिषद अपीलार्थी के पास बढ़े हुए धन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है क्षतिपूर्ति, यह न्यायालय संवर्धित [2018] 1 एस. सी. आर. के भुगतान पर रोक लगा सकता है।

संदर्भ न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि। उपरोक्त संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः

" 8. हम अपीलार्थी परिषद की ओर से इस तरह की प्रस्तुतियों को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं। निस्संदेह, अपीलार्थी इसके संवैधानिक या संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने के लिए तैयार हो सकता है।

शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक विद्यालय खोलने का कानूनी दायित्व 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अपीलार्थी परिषद को सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने का अधिकार है या संवैधानिक दायित्व

व्यक्तिगत नागरिकों को उनसे वंचित करके उनकी लागत

संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संवैधानिक अधिकार?

40. इस न्यायालय ने परिषद द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और यह टिप्पणी की कि संपत्ति का अधिकार न केवल एक संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है, बल्कि एक मानव अधिकार भी है। इसलिए, यदि पीड़ित व्यक्ति को भुगतान किए बिना भूमि से वंचित कर दिया जाता है

क्षतिपूर्ति, यह उक्त उखाड़े गए व्यक्तियों को आवारा बनने के लिए मजबूर करने के समान होगा। उपरोक्त रूप में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत निर्धारित भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि मालिक को मुआवजे का भुगतान करना आवश्यक है। अपीलार्थी को अंतरिम राहत देने वाले आदेश को न्यायसंगत आदेश माना गया जिसमें इस न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 41. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है जो अपीलार्थी की मदद कर सके। वर्तमान एक मामला नहीं है

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उप-धारा (4), मुआवजे का भुगतान

धारा 15 के तहत अधिसूचना की तारीख को बाजार मूल्य के अनुसार किया जाना है।

42. पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, हमें कोई आधार नहीं मिलता है

रिट याचिका को खारिज करते हुए केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ के फैसलों में हस्तक्षेप करना और

अपीलार्थी की रिट अपील।

43. नतीजतन, सभी अपीलें खारिज कर दी जाती हैं।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

कल्पना के. त्रिपाठी